


03-10-23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी
संघ उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र
अदम पेंसरी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
खातिज किया जाता है। पत्रावली बाद तयतीब
तकमील होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखाप्य जाकर तुलै न्यायालय में
हुनाप्य गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS.